न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, बीकानेर
पीठासीन अधिकारी, रामनिवास जाट, आर.ए.एस.

<u>अपील संख्या 222/18</u> **निर्णय दिनांकः 30.04.2019**

1. चन्नीखॉ पुत्र लखू खॉ जाति मुसलमान निवासी बिजेठी तहसील कोलायत जिला बीकानेर।

—अपीलांट्

—बनाम—

1. स्टेट ऑफ राजस्थान, जरिये तहसीलदार, कोलायत।

रेस्पोडेन्ट्

अपील विरूद्व आज्ञा दिनांक 26—12—2008
सहायक आयुक्त उपनिवेशन, कोलायत

<u>उपस्थितिः—</u>

1. श्री रणजीत सिंह निर्वाण, अभिभाषक अपीलांट्
2. श्री नन्दराम कासनियॉ, राजकीय अभिभाषक

—निर्णय—

1. अपीलांट ने यह अपील सहायक आयुक्त उपनिवेशन, कोलायत के आदेश दिनांक 26—12—2008 जिसके द्वारा अपीलांट का बालिग पुत्र आवंटन प्रार्थना पत्र बिना सुने एकतरफा तौर पर खारिज किया गया है, के विरूद्व इस न्यायालय में राजस्थान उपनिवेशन (इगानप योजना में सरकारी कृषि भूमि आवंटन व विक्रय नियम) 1975 के नियम 23 के अन्तर्गत प्रस्तुत की है।

2. संक्षेप में अपील के तथ्य इस प्रकार है कि अपीलांट के पिता के नाम से वाके रोही बिजेरी के खेत खसरा नम्बर 228 मिन में 40 बीघा बारानी भूमि टीसी आवंटन थी जो चकबन्दी के पश्चात् चक 1 एसएचएम—19 बीएम के मुरब्बा नम्बर 9/14 के किला नम्बर 16 ता 25, मुरब्बा नम्बर 9/15 के किला नम्बर 1 ता 10, 12 ता 18, 23 ता 25, मुरब्बा नम्बर 9/22 के किला नम्बर 20, 21 व मुरब्बा नम्बर 9/23 के

किला नम्बर 1, 2, 9 ता 12, 19 ता 21 में पैमूद हुई। अदालत मातहत द्वारा चक 1 एसएचएम–19 बीएम के मुरब्बा नम्बर 9/23 के किला नम्बर 1, 2, 9 ता 12, 19 ता 21 व मुरब्बा नम्बर 9/14 के किला नम्बर 16 ता 25 कुल तादादी 18 बीघा 10 बिस्वा भूमि का टीसी से पुख्ता आवंटन कर दिया गया। परन्तु शेष भूमि अधिशेष की गई। अपीलांट ने अदालत मातहत के समक्ष बालिग पुत्र की हैसियत से शेष अधिशेष भूमि के टीसी से पुख्ता आवंटन का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया तथा प्रार्थना पत्र के साथ तमाम दस्तावेज भी प्रस्तुत किये गये थे। अदालत मातहत द्वारा अपीलांट को सुनवाई व सबूत का अवसर प्रदान किये बिना ही टीसी से पुख्ता आवंटन का प्रार्थना पत्र इस आधार पर खारिज कर दिया गया कि सरप्लस भूमि रकबाराज नहीं है तथा अन्य को आंवटित हो चुकी हैं। जिससे व्यथित होकर अपीलांट द्वारा उक्त अपील न्यायालय हाजा के समक्ष प्रस्तुत की गई है।

3. विद्वान अभिभाषक उभय पक्ष की बहस सुनी गई।

4. विद्वान अभिभाषक अपीलांट् ने अपील में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए अपनी बहस में बताया कि अपीलांट के पिता के नाम से वाके रोही बिजेरी के खेत खसरा नम्बर 228 मिन में 40 बीघा बारानी भूमि टीसी आवंटन थी। उक्त भूमि चकबन्दी के पश्चात् चक 1 एसएचएम–19 बीएम के मुरब्बा नम्बर 9/14 के किला नम्बर 16 ता 25, मुरब्बा नम्बर 9/15 के किला नम्बर 1 ता 10, 12 ता 18, 23 ता 25, मुरब्बा नम्बर 9/22 के किला नम्बर 20, 21 व मुरब्बा नम्बर 9/23 के किला नम्बर 1, 2, 9 ता 12, 19 ता 21 में पैमूद हुई।

अदालत मातहत द्वारा चक 1 एसएचएम–19 बीएम के मुरब्बा नम्बर 9/23 के किला नम्बर 1, 2, 9 ता 12, 19 ता 21 व मुरब्बा नम्बर 9/14 के किला नम्बर 16 ता 25 कुल तादादी 18 बीघा 10 बिस्वा भूमि का टीसी से पुख्ता आवंटन कर दिया गया व चक 1 एचएसएम–19 बीएम के मुरब्बा नम्बर 9/15 के किला नम्बर 1 ता 10, 12 ता 18, 23 ता 25 व किला नम्बर 9/22 के किला नम्बर 20, 21 की भूमि टीसी से पुख्ता अधिशेष की गई है। अपीलांट द्वारा दिनांक 04–01–2007 को चक 1 एचएचएम–19 बीएम के मुरब्बा नम्बर 9/15 के किला नम्बर 1

ता 10, 12 ता 18, 23 ता 25 व मुरब्बा नम्बर 9/22 के किला नम्बर 20, 21 कुल तादादी 22 बीघा भूमि जोकि अधिशेष की गई के बालिग पुत्र की हैसयित से टीसी से पुख्ता आवंटन हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया तथा प्रार्थना पत्र के साथ तमाम दस्तावेज भी प्रस्तुत किये गये थे। अदालत मातहत द्वारा अपीलांट के प्रार्थना पत्र पर बिना सुनवाई व सबूत का कोई अवसर प्रदान किये एकतरफा तौर पर प्रार्थना पत्र इस आधार पर खारिज कर दिया गया कि वादगत् सरप्लस भूमि रकबाराज नहीं है तथा अन्य को आवंटित हो चुकी है। अतः बालिग पुत्र पात्र नहीं है अतः आवेदन पत्र निरस्त किया जाता है।

उन्होनें आगे बताया कि बालिग पुत्र आवंटन हेतु 18 वर्ष की आयु होना दस्तावेजी साक्ष्य से साबित होती है व मुताबिक नियम व परिपत्र दिनाकं 01—01—2001 को टीसी से पुख्ता अधिशेष भूमि का बालिग पुत्र आवंटन करवाने हेतु 18 वर्ष का होना अनिवार्य है। जबकि अपीलांट दिनांक 01—01—2001 को 24 वर्ष की आयु होना साबित हैं इस प्रकार अदालत मातहत द्वारा मनमाने ढंग से विधि के विरूद्व जाकर कानून व प्राकृतिक न्याय के सिद्वान्तों के विपरीत आदेश जैर अपील पारित किया गया है। अदालत मातहत द्वारा अपीलांट को सुनवाई व सबूत का कोई अवसर प्रदान नहीं किया गया, प्रार्थना पत्र के साथ प्रस्तुत दस्तावेजों की कोई जॉच नहीं की गई। अतः अदालत मातहत द्वारा पारित आदेश विधि विरूद्व होने से खारिज योग्य आदेश है। अतः अपीलांट की अपील स्वीकार फरमाई जाकर आदेश जैर अपील निरस्त फरमाया जावे।

उन्होंने मियांद पर बताया कि अपीलाधीन आदेश एकतरफा क्षेत्राधिकार से बाहर है। जिसमें मिंयाद अधिनियम बाघक नहीं है। अपील के साथ धारा 5 मियांद अधिनियम का प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र पेश है। अतः अपील अन्दर मियांद घोषित की जावे।

5. विद्वान राजकीय अभिभाषक ने कथन किया कि अपीलांट ने अपीलाधीन आदेश दिनांक 26—12—2008 के विरूद्व अपील दिनांक 25—04—18 को पेश की है। जो विलम्ब से पेश की है। इसलिए अपील मिंयाद बाहर है। मियांद प्रार्थना पत्र में मियांद कण्डोन करने का कोई

संतोषजनक कारण अंकिन नहीं किया है। अपीलांट का आवंटन प्रार्थना पत्र इस आधार पर खारिज किया गया है कि अपीलांट दिनांक 01—01—2001 को बालिग पुत्र की श्रेणी में नहीं आते है व सरप्लस भूमि रकबाराज नहीं है व अन्य को आवंटित हो चुकी है। अब अपीलांट किसी प्रकार का अनुतोष प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है। अतः अपील खारिज फरमाई जावे।

6. विद्वान अभिभाषक उभय पक्ष की बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली का विधि के परिप्रेक्ष्य में अध्ययन किया गया।

7. अधिनस्थ न्यायालय सहायक आयुक्त उपनिवेशन, कोलायत की पत्रावली में शामिल चन्नी खॉ के आवेदन पत्र दिनांक 26—05—2003 में आवेदक की आयु 26 वर्ष लिखी हुई है। उक्त आवेदन मूल आवंटन एवं चन्नी खॉ के पिता को किये गये पुख्ता आवंटन आदेश दिनांक 09—05—2003 के तत्काल बाद पेश कर दिया गया था।

आवेदक की तिथी को राज्य सरकार द्वारा बालिग पुत्रों के आवंटन पर रोक बताई गई थी, परन्तु अन्य आदेश तक पिता की भूमि से चन्नी खॉ को बेदखल करने पर स्थगन जारी किया गया। तत्पश्चात् दिनांक 06—03—2006 को जारी आदेश में चन्नी खॉ की उम्र दिनांक 01—01—1985 को 18 वर्ष नहीं होने कारण आवंटन का पात्र नहीं मानकर स्थगनादेश निरस्त कर दिया गया।

राज्य सरकार द्वारास बालिग पुत्रों के आवंटन की छूट देते हुए दिनांक 18—05—2007 को आवंटन नियम 13—5(ख) में संशोधन किया जाकर दिनांक 01—01—2001 को 18 वर्ष की आयु पूर्ण करने वाले आवेदक को बालिग पुत्र की पात्रता निर्धारित की गई तथा इस प्रकार के आवंटन हेतु आवेदन पेश की अंतिम तिथि 31—12—2008 रखी गई। आवेदक ने दिनांक 09—10—2007 को पुनः आवेदन पेश किया जिस पर सहायक उपनिवेशन आयुक्त ने दिनांक 26—12—2008 को आदेश जारी किया कि '' आवेदक दिनांक 01—01—2001 को बालिग पुत्र की श्रेणी में नहीं आता है, सरप्लस भूमि रकबाराज नहीं है, अन्य को आवंटन हो चुकी है। इसलिए बालिग पुत्र की श्रेणी में भूमि आवंटन का पात्र नहीं है।''

आवंटन अधिकारी की पत्रावली में स्पष्ट है कि आवेदित भूमि दिनांक 09—05—2003 को आवेदक के पिता लखू खॉ को पुख्ता आवंटन होने तक टीसी धारक के कब्जे में थी। तत्पश्चात् अधिशेष भूमि पर आवेदक का बालिग पुत्र के रूप में कब्जा होने की स्थिति को सहायक आयुक्त के आदेश दिनांक 03—09—2003 तथा दिनांक 06—03—2006 को स्वीकार किया गया है। पहली बार आवंटन हेतु प्रस्तुत आवेदन में दिनांक 26—05—2003 को आयु 26 वर्ष बताई गई है। आवेदक के फोटो पहचान पत्र में दिनांक 01—01—1995 को आयु 18 वर्ष मुद्रित है। इस प्रकार दिनांक 01—01—2001 को आवेदक की आयु 18 वर्ष होना प्रमाणित होने के उपरान्त दिनांक 26—12—2008 को अपीलाधीन आदेश में बालिग पुत्र की श्रेणी में नहीं मानकर तथा 30 वर्ष से लगातार कब्जा काश्त में रही भूमि को आवेदक का दावा विचाराधीन रहते अन्य को आवंटित होना बताकर आवेदन खारिज करना आवेदक के साथ अन्याय है तथा आवंटन अधिकारी का निर्णय पक्षपातपूर्ण मनमाना एवं अविवेपूर्ण है।

8. अतः अपीलांट की अपील स्वीकार की जाकर सहायक उपनिवेशन आयुक्त, कोलायत का अपीलाधीन आदेश दिनांक 26—12—2008 को अपास्त किया जाता है। प्रकरण इस निर्देश के साथ आवंटन अधिकारी को रिमाण्ड किया जाता है कि दिनांक 01—01—2001 को आवेदक की बालिग पुत्र के रूप में पात्रता की जॉच कर दिनांक 31—12—2008 से पूर्व में आवेदन पत्र प्रस्तुत होना मानते हुए एक माह के भीतर विधि सम्मत निर्णय पारित करें।

9. निर्णय मेरे द्वारा लिखाया जाकर आज दिनांक 30—04—2019 को सरे इजलास सुनाया गया।

(रामनिवास जाट)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बीकानेर